

भारत में वति्तीय अंतरण

प्रलिमि्स के लिये:

कर अंतरण, सहायता अनुदान, GST कार्यान्वयन, भारत के नयिंत्रक और महालेखा परीक्षक, 16वाँ वित्त आयोग

मेन्स के लिये:

भारत में राजकोषीय संघवाद की वर्तमान स्थिति

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के कई राज्यों ने दावा किया कि कर अंतरण (Tax Devolution) की वर्तमान योजना के अनुसार उन्हें अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके अनुसार, प्राप्त राशि की तुलना में वे **राष्ट्रीय कर पूल** में अधिक योगदान करते हैं।


भारत में कर अंतरण की वर्तमान स्थति क्या है?

- परिचय: वित्तीय अंतरण/न्यागमन (Financial devolution) का तात्पर्य केंद्र सरकार से राज्यों को वित्तीय संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों के अंतरण से है।
- सांविधानिक ढाँचा: संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच नविल कर आय के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है।
 - प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित वित्त आयोग (FC), केंद्र सरकार के विभाज्य करों के पूल (उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) के अतिरिक्ति से धन के ऊर्धवाधर/विषमस्तरीय (Vertical) वितरण की अनुशंसाएँ करता है।
 - ॰ इसके अतरिकित यह विभिनिन राज्यों के बीच इन निधियों के समस्तर आवंटन के लिये एक सूत्र प्रदान करता है।
 - ॰ करों के आवंटन के अतरिकित, राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सहायता <mark>अनुदान</mark> भी प्रदान किया जाता है।
 - **डॉ. अरवदि पनगढ़िया** की अध्यक्षता में 1**6वें वित्त आयोग** को **वर्ष 2026-31 की अवध**ि के लिये संबद्ध विषय हेतु अनुशंसाएँ करने का कारय सौंपा गया है।
- राज्यों के बीच अंतरण के लिये मानदंड: वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पूल (ऊर्ध्वाधर/विषमस्तरीय अंतरण) में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है।

Table 1: The criteria for horizontal devolution among States over the last five FCs

Criteria	11th FC 2000-05	12th FC 2005-10	13th FC 2010-15	14th FC 2015-20	15th FC 2021-26
Income Distance	62.5	50	47.5	50	45
Population (1971 Census)	10	25	25	17.5	-
Population (2011 Census)	e-	-	-	10	15
Area	7.5	10	10	15	15
Forest cover	10 <u>1</u> 2	n=	_	7.5	<u>=</u>
Forest and ecology	-	-	-	_	10
Infrastructure index	7.5	-	-	-	-
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	÷	-
Demographic performance	-	-	-	-	12.5
Tax effort	5	7.5	-	-	2.5
Total	100	100	100	100	100

• राजयों का योगदान एवं कर-अंतरण:



कर अंतरण के संबंध में चिताएँ:

- ॰ **उपकर और अधिभार का अपवर्जन:** कर राजस्व के विभाज्य पूल से उपकर और अधिभार के अपवर्जन को लेकर चिताएँ जताई गई हैं, जिससे राज्यों के कर राजसव में हिस्सेदारी में कमी आ रही है।
 - केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर और अधिभार सत्र 2024-25 के लिये उसकी सकल कर प्राप्तियों का लगभग 23% होने का अनुमान है, जो विभाजय पुल का हिससा नहीं है तथा इसलिय राजयों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- ॰ GST कार्यान्वयन के लिये अपर्याप्त मुआवज़ा: कुछ राज्यों का मानना है कि GST कार्यान्वयन के दौरान राजस्व हानि के लिये मुआवज़ा अपर्याप्त है, वे राजस्व की कमी को दूर करने के लिये एक निष्पक्ष तंत्र का आग्रह कर रहे हैं।
- ॰ निधि उपयोग में लचीलेपन का अभाव: कुछ राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं की आपूरति के लिये अंतरित निधियों के उपयोग में अधिक

नोट:

- आय असमानताः किसी राज्य की आय और प्रतिव्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य के बीच असमानता को संदर्भित करता है।
 - ॰ राज्यों के बीच समानता सुनिश्चिति करने के लिये प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले राज्यों को अधिक हिस्सा मलिता है।
- जनसंख्या: <u>वर्ष 2011 की जनगणना</u> के आधार पर जनसंख्या गणना का प्रतिनिधित्वि करता है। पहले, 14वें वित्त आयोग तकवर्ष 1971 की जनगणना की जनसंख्या पर विचार किया जाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में यह प्रथा बंद कर दी गई।
- वन और पारिसथितिकी: सभी राजयों में कल घने वन कषेतर की तुलना में परतयेक राजय में घने वन कषेतर के समानुपात पर विचार किया जाता है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन: जनसंख्या नियंत्रण में राज्यों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये इसे पेश किया गया, जिसमें कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को उच्च अंक प्राप्त हए।
- कर प्रयास: जो राज्य अपनी कर संग्रहण प्रक्रिया में उच्च दक्षता प्रदर्शति करते हैं उन्हें कर प्रयास से पुरस्कृत किया जाता है।

आगे की राह

- राजकोषीय संघवाद ढाँचे की समीक्षा: अंतरण प्रक्रिया में अंतराल और अक्षमताओं की पहचान करने के लिये राजकोषीय संघवाद ढाँचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है।
 - ॰ इसमें मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधारों का प्रस्ताव करने के लिये एक समिति या आयोग की स्थापना शामिल हो सकती है।
- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: सुशासन, पारदर्शिता और विकास परिणामों जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन संकेतकों के लिये अतिरिक्त अंतरण को जोड़ने से जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- संस्थानों को सुदृढ़ बनाना: भारत के निर्यंतरक एवं महालेखापरीकषक (CAG) जैसे सशक्त संस्थान लौटाए गए धन के प्रबंधन में प्रभावी निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चिति कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?!?!?!?!?!?!?!?:

प्रश्न. निम्नलिखति पर विचार कीजिय: (2023)

- 1. जनसांख्यिकीय निष्पादन
- 2. वन और पारस्थितिकी
- 3. शासन सुधार
- 4. स्थरि सरकार
- 5. कर एवं राजकोषीय परयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

?!?!?!?!?:

प्रश्न. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिये जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)

